रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 1976/आषाढ़ 24, 1898
No. 239] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 1976/ASADHA 24, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 15th July 1976

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Delhi Roller Mills Wheat Products (Ex-mill and Retail) Price Control Order, 1974, namely :—

1. (1) This Order may be called the Delhi Roller Mills Wheat Products (Ex-mill and Retail) Price Control (Amendment) Order, 1976.

(2) It shall come into force on the 16th July 1976.

2. In the Delhi Roller Mills Wheat Products (Ex-mill and Retail) Price Control Order, 1974,—

(i) in clause 2, in sub-clause (b), for the words "Resultant Atta", the word "Atta" shall be substituted;

(ii) in clause 5,—

(a) for the words and brackets "Suji (or Rawa)", the words "Suji or Rawa" shall be substituted;

(b) under the heading "Rupees per kilogram",—

A. against "Suji or Rawa" as so substituted, for the existing entry, the entry "1·79" shall be substituted;

B. against "Maida", for the existing entry, the entry "1·95" shall be substituted;

(c) for the entry relating to "Resultant Atta", the following entry shall be substituted, namely :—

"Atta 1·16";

(iii) for Tables I, II and III, the following Tables shall respectively be substituted, namely :—

"TABLE I

(*See* clause 3)

Wheat Products	Price in rupees per quintal (net weight)
(1)	(2)
Suji or Rawa	174·00
Maida	190·00
Atta	112·00
Bran	50·00

TABLE II

(*See* clause 4)

Wheat Products	Price per 1 kilogram packing (net weight)	Price per 2 kilograms packing (net weight)
(1)	(2)	(3)
Suji or Rawa	1·79	3·57
Maida	1·95	3·89
Atta	1·16	2·31

TABLE III

(*See* clause 6)

Wheat Products	Price per 1 kilogram packing (net weight)	Price per 2 kilograms packing (net weight)
(1)	(2)	(3)
Suji or Rawa	1·84	3·67
Maida	2·00	3·99
Atta	1·21	2·41".

[No.1(DEL)(1)/76-D&R(I)-33]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(खाद्य विभाग)
आदेश
नई दिल्ली, 15 जुलाई 1976

सा०का०नि० 456 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली रोलर मिल्स गेहूं-उत्पाद (मिल-बाह्य और फुटकर) कीमत नियंत्रण आदेश, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम दिल्ली रोलर मिल्स गेहूं-उत्पाद (मिल-बाह्य और फुटकर) कीमत नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1976 है।

(2) यह 16 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त होगा।

2. दिल्ली रोलर मिल्स गेहूं-उत्पाद (मिल-बाह्य और फुटकर) कीमत नियंत्रण आदेश, 1974 में,—

(i) खण्ड 2 में, उपखण्ड (ख) में, "परिमाणित आटा" शब्दों के स्थान पर "आटा" शब्द रखा जाएगा;

(ii) खण्ड 5 में,—

(क) "सूजी (या रवा)" शब्दों के स्थान पर, "सूजी या रवा" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) "रुपया प्रति किलोग्राम" शीर्षक के नीचे,—

क. इस प्रकार यथाप्रतिस्थापित "सूजी या रवा" के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "1.79" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

ख. "मैदा" के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "1.95" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ग) "परिमाणित आटा" से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"आटा.....1.16" ;

(iii) सारणी I, II और III के स्थान पर, क्रमश : निम्नलिखित सारणियां रखी जायेंगी, अर्थात :—

"सारणी—I
(खण्ड 3 देखिए)

गेहूं-उत्पाद	प्रति क्विंटल (शुद्ध भार) कीमत रुपयों में
(1)	(2)
सूजी या रवा	174.00
मैदा	190.00
आटा	112.00
चोकर	50.00

सारणी II

(खण्ड 4 देखिए)

गेहूं-उत्पाद	प्रति एक किलो-ग्राम पैकिंग (शुद्ध-भार) की कीमत	प्रति दो किलो-ग्राम पैकिंग (शुद्ध भार) की कीमत
(1)	(2)	(3)
सूजी या रवा	1.79	3.57
मैदा	1.95	3.89
आटा	1.16	2.31

सारणी III

(खण्ड 6 देखिए)

गेहूं-उत्पाद	प्रति एक किलो-ग्राम पैकिंग (शुद्ध-भार) की कीमत	प्रति दो किलो-ग्राम पैकिंग (शुद्ध भार) की कीमत
(1)	(2)	(3)
सूजी या रवा	1.84	3.67
मैदा	2.00	3.99
आटा	1.21	2.41"

[सं० 1 (दिल्ली) (1)/76-डी एंड आर (1)-33]

एल० सी० गुप्ता, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976